न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 23/2022 (राजसमन्द आर्डर)

कालु पिता भूराजी गुर्जर, निवासी माकरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. हीरादास पिता नन्ददास वैरागी, निवासी माकरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती मांगी पत्नी नन्ददास वैरागी, निवासी माकरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, आमेट दिनांक 19.07.2022 प्र. सं. 17/2021

----/----

उपस्थित (वक्तबहस) 1– श्री गिरजाशंकर मेहता अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री दुर्गासिंह शक्तावत अभिभाषक रेस्पो.सं. 1, 2
3– राजकीय पैरोकार अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं0 3

----::----

निर्णय **दिनांक 21-03-2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम माकरडा में प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की आराजी नंबर 678 रकबा 0.0700 हैक्टर, आराजी नंबर 685 रकबा 0.5000 हैक्टर एवं आराजी नंबर 686 रकबा 0.0500 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात पर आने जाने का एक मात्र [illegible] प्रार्थीगण आराजी नंबर 681 व 683 से हो[illegible] आराजी नं[illegible]85 [illegible]वेश करते हैं व अपनी आराजी में आते जाते हैं। [illegible] आराजियों से हो[illegible] मौके पर मौजूद है, किन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:46 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

आराजी नंबर 681 में जो रास्ता बना हुआ होकर 15 फिट चौडा है उस पर विपक्षी एवं दीपचन्द ने लोहे की फाटक लगाकर बन्द कर दिया है तथा आराजी नंबर 683 में रास्ते की जमीन में पत्थरों की दीवार बना दी है, जिससे प्रार्थीगण के खेतों पर आने जाने का रास्ता बन्द हो गया है। अतः उक्त रास्ता खुलवाया जाकर राजस्व रेकार्ड व नक्शे में रास्ता अंकित किया जावे तथा विपक्षी को पाबन्द किया जावे कि वे रास्ते को कभी भी बन्द नहीं करे तथा प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें।

विपक्षी संख्या 1 ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 545 में से होकर आराजी नंबर 656, 681, 683 में से होकर कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण जबरन विपक्षी की खातेदारी की भूमि में रास्ता निकालना चाहता है। मौके पर कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 19–07–2022 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 23–11–2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19–07–2022 की जानकारी अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता को नहीं दी गयी, जानकारी होने पर दिनांक 18–11–2022 को नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन [illegible] पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में अल्प विलम्ब [illegible] है। अतः प्रकरण [illegible] गुणावगुण पर निर्णय करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:46 IST
Reason: SelfAttested

के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि प्रकरण में सबसे महत्व पूर्ण तथ्य एवं दस्तावेज दिनांक 22–07–2021 की मौका रिपोर्ट है, जिसमें स्पष्ट अंकित है कि "प्रार्थी द्वारा बताया गया रास्ता जो खसरा नंबर 681, 683 व 656 में होकर जाता है, परन्तु रेकार्ड अनुसार कोई रास्ता दर्ज नहीं है तथा खातेदार कालु पिता भूरा के नाम दर्ज है। आराजी नंबर 681 में एक लोहे की फाटक लगी हुई है, जिसमें खातेदार ने पूर्व में आना–जाना बताया है। अपीलान्ट की उक्त आराजी में से रेस्पोन्डेन्ट की भूमि में जाने हेतु 280 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा रास्ता अर्थात 1120 वर्गमीटर भूमि अपीलान्ट की खातेदारी में से देनी होगी तथा एक अन्य निकटवृति रास्ता जो आराजी नंबर 685, 678 से होते हुए खसरा नंबर 663, 664 से होकर 1634/500 में खुल सकता है जो किस्म रास्ता दर्ज होकर खातेदारी में है तथा खसरा नंबर 663, 664 खातेदार भैरूलाल गुर्जर वगैरह के नाम दर्ज है और उक्त रास्ता प्रस्तावित किया जाता है तो 180 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौडा करीब 520 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता होगी।" इस प्रकार वैकल्पिक नजदीकी मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद भी अधिनरथ न्यायालय ने अपीलान्ट/विपक्षी की अधिकतम भूमि को नष्ट करने व उसमें से रास्ता निकाले जाने का आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनरथ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनरथ न्यायालय ने तहसीलदार आमेट की अनुशंषा के आधार पर आराजी नंबर 656, 681 व 683 में से 280 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा रास्ता घोषित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर 2022 0 Supreme (Raj.) Page 240 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली [illegible] पर्चा मौका दिनांक 22–07–2021 में भू–अभिलेख निरीक्षक एवं [illegible] किया है कि "प्रार्थी द्वारा बताया गया रास्ता [illegible] 683, 656 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:46 IST
Reason: SelfAttested

होकर चाहता है परन्तु रिकार्ड अनुसार कोई रास्ता दर्ज नहीं है तथा खातेदार श्री कालू के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त रास्ते में खसरा नंबर 681 में एक लोहे की फाटक लगी हुई है जिससे खातेदार पूर्व में आते जाते थे ऐसा प्रार्थी ने बताया और फाटक पर ताला लगा होना बताया, जबकि वर्तमान में ताला नहीं है परन्तु टैक्टर ले जाना मना है। टैक्टर के लिए रास्ता अवरूद्ध होने से मौके पर खसरा नंबर 685 में बुवाई नहीं की गयी। प्रतिवादी से पूछने पर बताया कि हीरादास अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 678 में से लगभग 66 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौडा रास्ता उनकी खातेदारी भूमि 674 में जाने हेतु देते हैं तो वह भी उक्त रास्ता खोलने हेतु सहमत है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता जो कि मौके पर 280 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा अर्थात 1120 वर्गमीटर भूमि प्रतिवादी की खातेदारी भूमि से लेनी होगी। तथा एक अन्य निकटवर्ती रास्ता जो कि 685, 678 से होते हुए खसरा नंबर 663, 664 को होकर 1634/500 में खुल सकता है। खसरा नंबर 1634/500 किस्म रास्ता दर्ज होकर खातेदारी में है तथा खसरा नंबर 663, 664 खातेदार भैरूलाल पिता गोवर्धन 1/2 के नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा उक्त रास्ता प्रस्तावित किया जाता है तो 180 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौडा लगभग 520 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता होगी।''

उक्त दिनांक की एक अन्य रिपोर्ट अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, जो प्रार्थी गहरीलाल पिता कालुराम गुर्जर द्वारा प्रस्तुत धारा 251-क के प्रार्थना पत्र में आराजी नंबर 674 में रास्ते बाबत् तैयार की गयी है, जिसमें भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का ने अंकित किया है कि ''प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 674 में जाने हेतु सटमा खसरा नंबर 678 में से होकर आराजी नंबर 683, 681, 656, 654 से होते हुए खसरा नंबर 545 किस्म रास्ता बिलानाम से आते जाते थे। उक्त खसरा नंबर 678 जो की हीरादास के खाते दर्ज है इसलिए उक्त खसरा नंबर 678 में से रास्ता बन्द कर दिया है। प्रतिवादी हीरादास का कहना है कि उक्त खसरा नंबर 674, 675 में जाने का रास्ता खसरा नंबर 671, 669 में से है, जिसके खातेदार ने बताया कि मौके पर रास्ता नहीं होकर पगडंडी के तौर पर आ जा सकते हैं। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि 674, 675 में जाने हेतु खसरा नंबर 678 के लम्बाई में 66 मीटर एवं चौड़ाई में 4 [illegible] 264 वर्गमीटर रास्ता चाहता है। आगे खसरा नंबर 683, 681, 656 [illegible] प्रार्थी की पुरानी जमीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:46 IST
Reason: SelfAttested

उप-खण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
[illegible]

है जो वर्तमान में पिता कालूराम के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नंबर 674 में जाने हेतु खातेदारी रास्ता खसरा नंबर 1634/500 से 150 मीटर पर है तथा चाहा गया रास्ता 66 मीटर अन्य खातेदार हीरादास के खाते होकर बाकी पुश्तैनी खातेदारी भूमि है। रास्ते के अभाव में खसरा नंबर 674 व 675 में कोई फसल नहीं है।"

उक्त दोनों मौका रिपोर्टो के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक तरफ तो रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण अपने खाते की आराजी नंबर 678, 685, 686 पर आने जाने हेतु अपीलान्ट/विपक्षी की आराजी नंबर 656, 681 व 683 में से रास्ता चाहता है, वही दूसरी ओर अपीलान्ट/विपक्षी अपने पुत्र गहरीलाल के खाते की आराजी नंबर 674 में आने जाने हेतु रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण के खाते की आराजी नंबर 678 में से रास्ता चाहता है तथा उक्त रास्ता दिये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ता दिये जाने हेतु सहमत है, लेकिन अधिनरथ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया है। तदनुसार अधिनरथ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। संबंध में न्यायिक नजीर 2022 0 Supreme (Raj.) Page 240 अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी है, उसके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से चस्पा नहीं होती है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19-07-2022 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनरथ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उक्त दोनों मौका रिपोर्टो को ध्यान में रखते हुए पुनः पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर दोनों पक्षों को सुनकर नये सिरे से निर्णय पारित करें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 21-03-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:46 IST
Reason: SelfAttested